पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार
**कार्यालय वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज वन प्रमंडल, गोपालगंज।**
धतिगना रोड थावे, रहसु भगत मंदिर पोखरा थावे, गोपालगंज 841440 ई. मेल–dfogopalganj-bih@gov.in

**पत्रांक** 1813 **/ दिनांक** 25/06/2026 /

प्रेषक,

**मेघा यादव, बि.व.से.**
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
गोपालगंज वन प्रमंडल, गोपालगंज।

सेवा में ,

श्री विनोद कुमार यादव,
पिता–श्री विश्वनाथ यादव,
ग्राम–मानसहाता, पोस्ट–हारदिया,
थाना–बड़हरिया, जिला– सिवान, पिन–841232

**विषयः–** **श्री विनोद कुमार यादव द्वारा सीवान जिलान्तर्गत मानसाहाता मौजा के खाता नं0 54 खेसरा नं0 685 एवं 686 अंचल–बड़हरिया में सिवान–सरफरा पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के कम में पहुॅच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के तहत् 0.01815 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करनें के सम्बन्ध में।**

**प्रसंगः–** **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार, का पत्रांक–FC/03/2022-757 दिनांक–22.06.2026**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगाधीन पत्र के माध्यम से आपके द्वारा सीवान जिलान्तर्गत मानसाहाता मौजा के खाता नं0 54 खेसरा नं0 685 एवं 686 अंचल–बड़हरिया में सिवान–सरफरा पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के कम में पहुॅच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के तहत् 0.01815 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर दो भागों में भाग–A में 1–6 शर्तें तथा भाग–B में 1–10 तक अधिरोपित शर्तो के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage-I Approval) प्रदान की गयी है। उक्त अधिरोपित शर्तो के आलोक में आपके द्वारा निम्नवत राशि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि 0.01815 हे0 के लिए एन.पी.वी. की राशि 9,57,780.00 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल 17,384.00 रू0 मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा विभागीय को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. हरित पट्टी बनाये रखने हेतु भारत सरकार द्वारा लगाये गये शर्त के आलोक में 100 (एक सौ) लौह गैवियन क्षतिपुरक वनरोपण की राशि 7,01,778.00 (सात लाख एक हजार सात सौ अट्हत्तर ) रूपये मात्र (प्राक्कलन की प्रति संलग्न) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।
3. प्रयोक्ता एजेंसी उपयुक्त कंडिका–1 एवं 2 पर अंकित राशि को विभागीय वेवसाईट–Parivesh.nic.in पोर्टल के माध्यम से जमा किया जायेगा तथा जमा राशि से सम्बन्धित UTR No. को परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

उक्त जमा की गयी राशि की सूचना इस कार्यालय को सम्बन्धित बैंक द्वारा निर्गत Challan No या UTR No. मूल प्रति के साथ दी जायेगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रासंगाधीन पत्र में उल्लेखित अधिरोपित शेष शर्ते का पूर्ण अनुपालन सूनिश्चित करते हुए प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय ताकि अंतिम स्वीकृति (Stage-II) Clearance प्राक्त करनें हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

अनुलग्नक–यथोक्त

विश्वासभाजन

25/06/26

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
गोपालगंज वन प्रमंडल, गोपालगंज

25/06/2026

ज्ञापांक 1813 / दिनांक 25/06/2026 /

प्रतिलिपिः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

25/06/26

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
गोपालगंज वन प्रमंडल, गोपालगंज

25/06/2026